न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

<u>आप0 प्रकरण क-117/2017</u> संस्थित दिनांक 20.03.2017 फा.नं.234503004302017

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)अभियोगी विरूद्ध सहदेव सिंह पिता जोगीसिंह मेरावी, उम्र ४० वर्ष, जाति गोंड, निवासी नेवरगांव थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)आरोपी

> —:: <u>निर्णय</u>::— <u>(15/11/2017 को घोषित)</u>

- (01) आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 13.03.2017 को समय 13:15 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत दुलमिसंह के खेत वार्ड नं.14 दर्जीटोला नेवरगांव में प्रार्थी हंसलाल मेरावी को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित कर आहत / प्रार्थी हंसलाल मेरावी को धारदार दातों से उसकी बांयी जांघ में काटकर स्वेच्छ्या उपहित कारित किया एवं आहत / प्रार्थी हंसलाल मेरावी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- (02)संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 13.03.2017 को प्रार्थी हंसलाल मेरावी ग्राम पार्षद पवन मेरावी के साथ थाना आकर मौखिक रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 13.03.2017 के करीब 1:15 बजे दिन के समय वह पार्षद पवन मेरावी के घर में बैठा था। बाजू में दलमसिंह मेरावी की खेत बाड़ी है, जिसकी रखवाली दुलमसिंह कर रहा था, तभी गांव का सहदेव सिंह मेरावी आया और दुलमसिंह को गाली-गुफतार, धक्का-मुक्की कर रहा था। हल्ला सुनकर वह एवं गांव के सुखचंद मेरावी, बालचंद मरावी, अर्जुन झगड़ा छुड़ाने गये, तभी सहदेव मेरावी ने उसे वह कौन होता है बीच में बोलने वाला, कहकर उसे मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा। उसने गाली देने से मना किया तो उसे हाथ-मुक्कों से मारपीट किया, जिससे उसके बांये हाथ के अंगूठे में चोट आई है एवं दांत से बांये जांघ में काट दिया, जिससे चोट आकर खुन निकलकर दर्द हो रहा है। उक्त घटना को गांव के सुखचंद मेरावी, बालचंद मेरावी और अर्जुन ने देखे और बीच-बचाव किये है। सहदेव मेरावी जाते–जाते बोल रहा था कि आज तो वह इन लोगों के कारण बच गया है, दोबारा उसके बीच में आयेगा तो उसे जान से खत्म कर देगा। उक्त रिपोर्ट के

आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल निरीक्षण, प्रार्थी एवं साक्षीगण के कथन की कार्यवाही की गई। आहत का मुलाहिजा करवाया गया। विवेचना दौरान आरोपी सहदेव सिंह मेरावी के विरूद्ध अभिरक्षा पत्रक तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कमांक 26 / 17 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

- (03) अभियुक्त ने निर्णय के चरण क्रमांक 01 में वर्णित आरोप को अस्वीकार किया है।
- (04) आरोपी के विरूद्ध निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :--
 - 01—क्या आरोपी ने दिनांक 13.03.2017 को समय 13:15 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत दुलमिसंह के खेत वार्ड नं. 4 दर्जीटोला नेवरगांव में प्रार्थी हंसलाल मेरावी को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
 - 02—क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक व स्थान पर आहत / प्रार्थी हंसलाल मेरावी को धारदार दातों से उसकी बांयी जांघ में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
 - 03-क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक व स्थान पर आहत/प्रार्थी हंसलाल मेरावी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

-:: <u>सकारण एवं निष्कर्ष</u> ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक-01 से 03

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

(05) फरियादी / आहत हंसलाल अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना इस वर्ष होली के समय दिन के लगभग 12:00 बजे दुलमिसंह के खेत ग्राम नेवरगांव की है। घटना के समय उसका आरोपी के साथ मौखिक विवाद हुआ था। कुछ समय बाद उसने आक्रोश में मलाजखंड थाने में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, उसकी रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिसवालों ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसे आरोपी ने मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ नहीं दी थी। उसे आरोपी ने हाथ—मुक्कों से मारपीट नहीं की थी और ना ही उसके जांघ में दात से काटा था। उनके विवाद को सुखचंद, बालचंद, अर्जुन ने शांत किया था। फिर दोनों अपने—अपने घर चले गये थे। आरोपी ने उसे किसी प्रकार की धमकी नहीं दी थी।

- (06) फरियादी / आहत हंसलाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दिया था, आरोपी ने उसे मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ एवं जान से मारने की धमकी नहीं दिया था, आरोपी द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की गई थी और ना ही दात से काटा गया था तथा वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।
- स्वयं साक्षी / आहत हंसलाल अ.सा.०१ घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (07)हैं, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है और कहा है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी कें खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दिया था, आरोपी ने उसे मॉ–बहन की गंदी–गंदी गालियाँ एवं जान से मारने की धमकी नहीं दिया था तथा आरोपी द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की गई थी और ना ही दात से काटा गया था तथा वह आरोपी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी/आहत हंसलाल मरावी को मॉं-बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित कर उसे धारदार दातों से उसकी बांयी जांघ में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित कर उसे भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः आरोपी सहदेव मेरावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—दो के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
- (08)— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- (09)— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट